न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2024

बउनवान

सोनू कुमार नागर आयु 34 वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन नागर, जाति धाकड़ निवासी ग्राम दीलोदा तहसील बारां जिला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंट)**

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2109 दिनांक 21.05.2021 न्यायालय तहसीलदार, बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री संजय नागर एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 18.03.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम कलमण्डा की खसरा नंबर 1685 रकबा 2.42 है. में से 1.60 है. भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.03.2021 को अपीलान्ट के पक्ष में उक्त आराजी की खातेदार द्वारकाबाई उर्फ द्वारक्याबाई पत्नि श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी कलमण्डा द्वारा किया गया था। जिसका नामान्तरकरण खुलवाने के लिये अपीलान्ट ने रेस्पो0 को आवेदन पेश किया था जिस पर रेस्पो0 द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोला गया था जो विधि विरूद्ध है। उक्त आराजी 1.60 है. जिसका नया खसरा नंबर 2140/1685 डाला गया है, के बाबत खोला गया नामान्तरकरण अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध है। क्योंकि उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर खोला जाना चाहिये था लेकिन रेस्पो0 द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोलते समय रजिस्टर्ड दान पत्र के स्थान पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अंकित कर दिया गया है, जो गलत, अवैधानिक एवं निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 2109 दिनांक 21.05.2021 निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजी वाके ग्राम कलमण्डा की खसरा नंबर 1685 रकबा 2.42 है. में से 1.60 है. जिसका नया खसरा नंबर 2140/1685 है, का अपीलान्ट के नाम पुनः नामान्तरकरण रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.03.2021 के आधार पर पुनः खोले जाने का आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अपीलान्ट ... अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी की मूल खातेदार द्वारकाबाई उर्फ द्वारक्याबाई पत्नि श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी कलमण्डा द्वारा ... की आराजी खसरा नंबर 1685 रकबा 2.42 है. में से 1.60 है. का दान पत्र अपीलान्ट ... रजिस्टर्ड कराया ... अपीलान्ट द्वारा उक्त दान पत्र का नामान्तरकरण ... रेस्पोडेन्ट के समक्ष आवेदन पेश करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रेस्पोडेन्ट द्वारा नये खसरा नंबर 2140/1685 रकबा 1.60 है. कायम कर रजिस्टर्ड दान पत्र के स्थान पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकण निरस्त फरमाया जाकर रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश रेस्पोडेन्ट को प्रदान करें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार द्वारा अपील में अंकित तथ्यों की पुष्टि की तथा कथन किया कि खातेदार द्वारकाबाई उर्फ द्वारक्याबाई पत्नि श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी कलमण्डा द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दान पत्र ही तहरीर कराया गया था परन्तु नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का खोलकर तस्दीक किया गया है।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न अपीलांट द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.03.2021 दानकर्ता द्वारका बाई उर्फ द्वारक्याबाई पत्नि श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी कलमण्डा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को ग्राम कलमण्डा की आराजी खसरा नंबर 1685 रकबा 2.42 है. में से 1.60 है. आराजी जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से ही प्राप्त हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिये था, परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला जाकर तस्दीक किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामान्तरकरण संख्या 2109 दिनांक 21.05.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बाद जांच रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.03.2021 दानकर्ता द्वारका बाई उर्फ द्वारक्याबाई पत्नि श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी कलमण्डा के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में पुनः नये सिरे से नामांतकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:18 IST
Reason: SelfAttested